लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मलिा ऊँट को आवास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश सीमा पर तस्करों से बचाए गए एक ऊँट को राज्य की पुलसि और असम राज्य चड़ियिाघर के अधकिारयिों के बीच छह महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पूर्वी असम के शविसागर ज़लि में एक आवास प्रदान कयिा गया।

महत्त्वपूर्ण बदिु

- हाल ही में एक वयस्क नर ऊँट को गुवाहाटी के चड़ियिाघर से नकिालकर लगभग 350 कमिी. दूर पूर्वी असम के शविसागर ज़लि में 'पशु घर' में एक ट्रक के माध्यम से पहुँचाया गया।
- अरण्यम नामक इस 'पशु घर' का संचालक समीरन हातमिुरयिा (Samiran Hatimuria) है जसिके संरक्षण में इस ऊँट को भेजा गया है।
- समीरन हातमिुरयिा ने ऊँट को यहाँ लाये जाने को स्वागत योग्य बताते हुए यहाँ मौजूद अन्य जानवरों के बारे में भी जानकारी दी जनिमें एमू (Emu), टर्की (Turkey), गनिी सूअर (Guinea Pigs), घोड़े (Horses), 12 प्रकार के मोर (Peafowls), पाँच प्रकार के कबूतर (Pigeons) और अन्य जानवर शामलि हैं।

क्या था मामला?

- 2018 के मध्य में पश्चमिी असम के गोलपारा ज़लि की पुलसि ने इस ऊँट को बांग्लादेश में तस्करी के लयि ले जाने वाले तस्करों से बचाकर चड़ियिाघर में पहुँचा दयिा था। जहाँ पहले से ही दो ऊँटों को रखा गया था।
- पशु चकित्सिकों ने पहले दो ऊँटों को उन बीमारयिों के वाहक बताया था जनिसे अन्य जानवरों की जान को खतरा हो सकता था, हालाँकि कुछ समय बाद दोनों ऊँटों की मौत हो जाने के बाद चड़ियिाघर प्रशासन ने गोलपारा में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- चड़ियिाघर के प्रभागीय वनाधकिारी (DFO) ने अदालत में अपना तर्क देते हुए कहा कि चड़ियिाघर घरेलू पशुओं को रखने के लयि अधकिृत नहीं है तथा ऊँट (जो स्वस्थ था) को चड़ियिाघर से बाहर पुलसि को वापस सौंपने की मांग की।
- कुछ समय पश्चात स्थानीय अदालत ने पुलसि को ऊँट को वापस ले जाने का आदेश दयिा लेकनि जानवर पालने में पुलसि की अक्षमता के चलते इसे चड़ियिाघर में छोड़ दयिा।

अरण्यम (Aranyam)

वर्ष 2008 में समीरन हातमिुरयिा ने अरण्यम नामक पशु घर खोला जसिमें शविसागर ज़लि के वन्यजीव अधकिारयिों द्वारा जंगली जानवरों को इलाज या पुनर्वास के लयि तथा उनकी सुरक्षा हेतु शरण दी जाती है।

स्रोत – द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/camel-finds-home-in-assam-after-long-legal-battle